

सेठ मेघराज जिंदल राजकीय महाविद्यालय, सिवानी (भिवानी)

क्रमांक:- ५५/२५/३९२३-२५

दिनांक:- 08/07/2025

निविदा सूचना

इस महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए कैंटीन का ठेका लेने हेतु अनुभवी ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 28.07.2025 निविदा फार्म खोलने की तिथि दिनांक 29.07.2025 (11:00 बजे) निविदा से सम्बंधित समस्त विवरण की जानकारी हेतु महाविद्यालय की वैबसाइट <http://gcsiwani.ac.in> का अवलोकन किया जा सकता है व निविदा फार्म महाविद्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है।


08.7.25
प्राचार्य

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेज कर अनुरोध किया जाता है कि निविदाएं DAVP (Government Rate) पर लगाने का कृपा करें :

1. प्रबंधक दैनिक सवेरा, हिसार
2. प्रबंधक अजीत समाचार, हिसार


08.7.25
प्राचार्य

REQUEST FOR PROPOSAL FOR OPERATING SMRJ GOVT. COLLEGE SIWANI CANTEEN

1. Name of the contractor: _____
2. Address: _____

3. Contact No.: _____
4. Details of the application fee of Rs. 1100/- (Receipt no. and date):
_____ (Non Refundable)
5. Details of the security amount of Rs. 11000/- (Receipt no. and date):
_____ (Refundable)
6. Aadhar No.: _____ (Copy Attached)
7. Experience (Certificate to be attached):

Sr. No.	Name of the Institution	From (Date)	To (Date)	Total Experience in Months

All the terms and conditions as mentioned in the tender form are acceptable to me /us

Date:

Signature of the Contractor

SMRJ Govt. College, Siwani (Bhiwani)

Canteen के Tender हेतू नियम व शर्तें

1. निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि 28/07/2025 होगी ।
- 2- निविदा दिनांक 29/07/2025 को खोली जाएगी ।
- 3- निविदा 01/08/2025 से 31/05/2026 तक वैध रहेगी ।
- 4- जमानत राशि के तौर पर Rs. 11000/- जमा करवाने होंगे जो निविदा समाप्त होने पर वापिस होगी ।
5. निविदा शुल्क 1100/- रहेगी जो वापसी योग्य नहीं रहेगी।
6. मासिक किराया पेशगी के तौर पर हर महीने की 01 तारीख को जमा करवाना होगा ।
7. बिजली बिल के लिये Sub-Meter स्वयं को लगवाना होगा और यूनिट के हिसाब से मासिक बिल का भुगतान करना होगा।
8. हरियाणा सरकार के आदेशानुसार कैंटीन में सरसों का तेल (HAFED) व वीटा या अमूल दूध का प्रयोग करना होगा।
9. कैंटीन में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
10. अधिकतम खुदरा मूल्य / बाजार के मूल्य से अधिक नहीं होगा।
11. किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कैंटीन संचालक का 01 वर्ष का अनुभव जरूरी है।
12. किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री पूर्णतः निषेध रहेगी।
13. कैंटीन व कैंटीन के आस-पास प्रतिदिन सफाई व्यवस्था व अनुशासन व्यवस्था बनाई रखनी होगी।
14. मूल्य सूची कैंटीन के बाहर लगानी होगी।
15. किसी भी वस्तु या सेवा की बिक्री या मूल्य निर्धारण में विवाद की स्थिति में व अन्य किसी भी मामले में अंतिम निर्णय कालेज कमेटी का मान्य होगा।
16. ठेकेदार स्वयं कॉलेज कैंटीन का संचालन करेगा व किसी भी स्थिति में कैंटीन संचालन का कार्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता है।

All the terms and conditions as mentioned in the tender form are acceptable to me/us.

Date:

Signature of the Contractor